Downloaded from WWW.SKILLSPEDIA.IN

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास शाखा)
जिला सुकमा (छ0ग0)

Email:-dwcdsukma01@gmail.com टेलीफोन न. 07864–284554

क्रमांक/ 283 /मबावि./स्था. /2025-26 सुकमा,दिनांक 09./05/2025

//अभिरूचि का प्रस्ताव सूचना//

निविदा जारी होने की तिथि- 09-05-2025

नीति आयोग के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन सुकमा, महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत चयनित 150 आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के प्रारंभिक जीवन कौशल विकास एवं बाल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए संस्थाओं के बीच सहयोगी साझेदारी के लिए ईसीसीई क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं से अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। अभिरूचि प्रस्ताव दिनाँक 19.05.205 समय 12.00 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सुकमा में जमा किया जा सकता है। इसके पश्चात 19.05.2025 अपरान्ह 03:00 बजे जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अभिरूचि प्रस्ताव की समीक्षा तथा एक निर्धारित तिथि एवं समय पर संस्था द्वारा पावर पाइंट्स प्रस्तुतीकरण और प्रदाय/उपयोग की जाने वाली सामग्री के नमूनों का अवलोकन के आधार पर चयन किया जावेगा।

इस संबंध में नियम शर्ते सामग्री की सूची के तय मानकों सहित एवं धरोहर राशि तथा सुरक्षा निधि इत्यादि की जानकारी सहित अभिरूचि प्रस्ताव प्रपत्र हेतु रूपए 1000.00 विभागीय मद "0235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण "02" विविध आय में जमा करके चालान की प्रति प्रस्तुत कर कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों में अभिरूचि प्रस्ताव सूचना जारी होने की तिथि से दिनाँक 16.05.2025 समय सायं 05.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

जिला मबावि अधिकारी
जिला–सुकमा छ.ग.

Scanned with OKEN Scanner

Downloaded from WWW.SKILLSPEDIA.IN

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास शाखा)
जिला सुकमा (छ0ग0)

Email:-dwcdsukma01@gmail.com टेलीफोन न. 07864–284554

क्रमांक/ 284 /मबावि./स्था./2025-26 सुकमा, दिनांक 09./05/2025

--अभिरूचि प्रस्ताव--

नीति आयोग के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन सुकमा द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत चयनित 150 आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चों के प्रारंभिक जीवन कौशल विकास एवं बाल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ईसीसीई के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं से अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। जिला प्रशासन और ईसीसीई के क्षेत्र में कार्यरत संस्था के संयुक्त प्रयासों से बाल मस्तिष्कों के लिए एक सार्थक तथा शक्ति शाली परिवेश बनाने का उद्देश्य है, जिनकी देखभाल एवं संवर्धन आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में माह जून 2025 से मार्च 2027 के मध्य संचालित होगा।

पृष्ठभूमिः– जिला प्रशासन सुकमा प्रारंभिक बाल विकास के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बाल मनोबल को विकसित करने के लिए ईसीसीई के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के साथ संयुक्त कार्यक्रम चलाना चाहता है। ईसीसीई के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं से प्रशासन ईसीसीई गतिविधियों के लिए आयु उपयुक्त और संदर्भ विशिष्ट पाठ्यक्रम की रचना, सतत प्रशिक्षण एवं सहायक पर्यवेक्षण और कार्यक्रम निगरानी के लिए एक कार्मिक की तैनाती की अपेक्षा रखती है। इसके अतिरिक्त 150 आंगनबाड़ी को पूरे जिले की आंगनबाड़ी के लिए आदर्श बनाने के लिए जिला प्रशासन और चयनित संस्था की परस्पर सहमती से की गयी अन्य गतिविधि करने की आशा रखती है।

चयन मापदंड संभावित साझेदारों की निम्नांकित आधारों पर मूल्यांकन किया जावेगा :–

1. **सार्थकता :–** प्रारंभिक बाल शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, रचनात्मक विकास, साधन निर्मित, कला माध्यम पर आधारित कार्यक्रम, श्रृंखला निर्माण कार्यक्रम, बच्चों पर गुणात्मक प्रभाव एवं मूल्यांकन और ईसीसीई क्षेत्र में प्रदर्शित अनुभव और विशेषज्ञता तथा प्रस्तावित कार्यक्रम की सार्थकता।
2. **विशेषज्ञताः–** स्वशिक्षा के मौलिक गुणों 1. कल्पना, 2. संवेदना का विकास, 3. कौतुहल/जिज्ञासा, 4. अवलोकन, 5. आइडिएशन (उद्भवन), 6. संयम, 7.नजरिया/दृष्टिकोण, 8. भावना और बुद्धि का संयोजन/मेल, 9. अभिव्यक्ति, 10. सहयोग, 11. व्यक्तित्व, 12. करुणा/सहानुभूति, 13. लैटरल थिंकिंग, 14. तर्क, 15. क्रिटिकल थिंकिंग/मीमांसा एवं 16. समस्या का समाधान इन गुणों को संजोए रखने हेतु कला माध्यम पर आधारित हिंदी तथा स्थानीय गोंडी/हल्बी भाषा में विभिन्न माध्यम के साधन जिससे बच्चो की जिज्ञासा, विश्लेषण और नवोन्वेषी विचारो का विकास तथा ऐसे स्वशिक्षा के साधन निर्माण करने की विशेषज्ञता के साथ-साथ इन मौलिक गुणों के आधार पर बच्चो को प्रतिदिन अनुभव देने में संस्था सक्षम हो।
3. लक्ष्य अनुरूप दोनों संगठनों के मिशन और मूल्यों का स्पष्ट समन्वय जो प्रारंभिक बाल विकास के महत्व को उभारता हो।
4. **नवाचारी दृष्टिकोणः–**नवोन्वेषी दृष्टिकोण, पद्धतियों तथा कला आधारित कार्यक्रम श्रृंखला जो आगंनवाड़ी केंद्रों के बच्चों में कला माध्यम द्वारा स्वशिक्षा पद्धति पर आधारित सीखने की क्षमता विकास को समृद्ध करने में मौलिक योगदान योग्य हो।
5. **वित्तीय प्रस्तावः–** संस्था को कार्यक्रम संचालित करने हेतु किए जाने वाले व्यय का विस्तृत प्रस्ताव शामिल करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

Downloaded from WWW.SKILLSPEDIA.IN

6. **संसाधन और क्षमता:-** जिला प्रशासन एवं संस्था के संयुक्त प्रयास को सफल करने के लिए पर्याप्त संसाधन, बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन (जिला स्तर 01 एवं परियोजना स्तर 05) का होना अनिवार्य होगा, तथा प्रभावी क्रियान्वयन करेगा।
7. **स्थिरता:-** संस्था को स्थायी समाधान विकसित करने की प्रतिबद्धता जो शिक्षा क्षेत्र के त्रिकोण विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक पर स्थाई प्रभाव डालने में समक्ष हो।

बच्चो के बारे में:- संस्था बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं शिक्षा के अवसर खोजने की क्षमता विकसित करना, कार्यक्रम के प्रभाव में बच्चो में सक्रिय अन्वेषण क्षमता, महत्वपूर्ण सोच, समस्या सुलझाने की क्षमता, आत्म-अनुशासन, प्रभावी संचार, रचनात्मक प्रतिक्रिया स्वीकार करने की क्षमता और आत्म-मूल्यांकन तथा आत्म-प्रतिबिंब में संलग्न होने जैसे लक्षण विकसित करना है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बारे में:- संस्था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बच्चे की विशिष्टता को पहचानने और उसकी सराहना करने के लिए अवसर प्रदान करेगी। इस नई समझ से बच्चों की व्यक्तिगत सोच का सम्मान करने के महत्व का एहसास एवं व्यक्तित्व के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देकर, आत्म-जागरूकता को प्रोत्साहित करके, परियोजना प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और देखभाल के लिए अधिक समग्र और प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास करेगी।

8. **स्थानीय जुड़ाव:-** संस्था को स्थानीय समुदायों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और परिवारों के बीच आत्मीय संबंध बनाने का प्रयास करने का लक्ष्य है।
9. **साधन तथा जानकारी की वृद्धि :-**संस्था बच्चों को स्वयं शिक्षा का अनुभव देने के लिए साधन अनुकूलन, साधनपूर्ति तथा साधन उपयोग का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम हो।
10. **निर्देश की भाषा:-** कार्यक्रम श्रृंखला में बच्चो को गतिविधि निर्देश की भाषा प्रमुखतः हिंदी तथा सुकमा जिले में बोली जाने वाली गोंडी, हल्बी या स्थानीय आदिवासी बोली भाषा में होना अनिवार्य होगा। संस्था स्थानीय भाषा में संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम हो।

अभिरूचि प्रस्ताव देने वाले रुचिकर्ता संस्थाओं से निम्नानुसार प्रस्ताव आमंत्रित हैं।

1. संस्था का परिचय, जिसमें उसका मिशन, मूल्यों और प्रारंभिक बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया हो।
2. स्पष्ट व्यक्त करें कि संस्था कैसे प्रस्तावित साझेदारी के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखता हो। एक संक्षिप्त रूप में व्यक्त करें कि साझेदारी चयन मापदंडों से कैसे मेल खाती है, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है।

कार्ययोजना विवरण :-

1. कार्ययोजना 01 जून 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू होगी। जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत निष्पादन समीक्षा एवं समिति द्वारा कार्य मूल्याकंन के बाद इसे एक और वर्ष लागू किया जा सकता है। समिति द्वारा प्रत्येक छैमाही में संस्था की कार्यो का मूल्यांकन एवं समीक्षा उपरांत आगामी कार्ययोजना का अनुमोदन करेगी।
2. कार्ययोजना अन्तर्गत दी गई सामग्री गैर विषैली एवं मानक अनुसार बच्चों के लिए सुरक्षित होनी अनिवार्य है।
3. कार्ययोजना की अनुमानित 02 वर्षो की लागत जी.एस.टी सहित 38.00 (लाख) रूपये है ।

EOI जमाकरने की प्रकिया:-

1. आवेदन को सीलबंद लिफाफे में आवेदनकर्ता के नाम व पते के साथ लिफाफे पर **"प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा में सुधार के लिए"** अंकित करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

Downloaded from WWW.SKILLSPEDIA.IN

2. आवेदन कार्यालय में सीधे स्वीकार नही किये जायेंगे। **पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा।**
3. आवेदन का संबोधन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सुकमा को होगा।
4. सील बंद लिफाफा 19 मई 2025 समय 12:00 बजे तक उक्त पते पर प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. लिफाफा **'अ'** में योग्यता संबंधी दस्तावेज और कार्ययोजना दस्तावेज एवं लिफाफ 'ब' में वित्तीय योजना संबंधी दस्तावेज तथा लिफासा **'स'** में ब्लैकलिस्ट न होने की घोषणा प्रारूप अलग-अलग लिफाफे में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, मबावि विभाग जिला सुकमा के नाम पर बतौर सुरक्षा निधी के रूप में फिक्स डिपोजिट राशि रूपये 114000.00 (शब्दों में- एक लाख चौदह हजार रूपये) जमा करना अनिवार्य होगा।
7. संस्था का पंजीकरण सीमित देयता भागीदारी अधिनियम/कंपनी अधिनियम के तहत भारत में होना चाहिए (संस्था का पंजीकृत प्रमाण पत्र) संलग्न करें।
8. संस्था का पैनकार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. संस्था का जी0एस0टी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. किसी प्रकार के विवाद अथवा प्रशासनिक निर्णय की स्थिति में कलेक्टर सुकमा का निर्णय, अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

चयन के मापदंड (तकनीकी मापन)

1. संस्था का कार्यानुभव का प्रमाण पत्र का आंकलन होगा।
2. कार्ययोजना के प्रस्ताव का आंकलन होगा।
3. पावरपाईट प्रजेन्टेशन का आंकलन होगा।
4. प्रस्तावित सामग्री की गुणवत्ता का आकलंन होगा।

विस्तृत अंकन

क्रं	मापदण्ड	अंक
1	संस्था का कार्यानुभव का प्रमाण पत्र	10
2	कार्ययोजना का प्रस्ताव	35
3	पावरपाईट प्रजेन्टेशन।	35
4	प्रस्तावित सामग्री की गुणवत्ता का आकलंन	20
कुलअंक		**100**

टीपः-तकनीकी आकंलन में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियो पर ही वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचार किया जावेगा। अर्हता प्रतिभागियो में से सबसे कम वित्तीय बोली को अंतिम रूप में चुना जायेगा। इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित आवश्यक दस्तावेजो के साथ अपना प्रस्ताव कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सुकमा में 19 मई 2025 समय 12:00 बजे से पहले इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना होगा तथा 19 मई 2025 अपरान्ह 03:00 बजे निविदा खोली जावेगी एवं प्रस्ताव का आंकलन तथा पीपीटी का प्रजेन्टेशन की तिथि की जानकारी इसके पश्चात साझा की जावेगी।

जिला म.बा.वि. अधिकारी
जिला-सुकमा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner